न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 08/2012/रेफरेन्स

माफी मंदिर श्री गोपालजी वाकै मौजा पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये पुजारी श्री मनोहर शरणी चैला माधोदास वैरागी निवासी पलसाना तहसील दांतारागढ जिला सीकर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1 प्रहलाद अग्रवाल पुत्र वैजनाथ अग्रवाल जाति महाजन सांकिन सीकर हाल आबाद 12 शनिपार्क फ्लेट नं0 2 ई0आश्रम अपार्टमेन्ट कोलकाता
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी श्री बजरंगसिंह राजपूत
वकील अप्रार्थी श्री रामावतार शर्मा

निर्णय **दिनांकः—16.05.2018**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अखैपुरा पटवार हल्का शिश्यू इंस्पैक्टर लैण्ड रिकार्ड हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि ख0 नं0 319 रकबा 6.24 हैक्टयर स्थित है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि ख0 नं0 319 रकबा 6.24 हैक्टयर के पुराने ख0 नं0 1877 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा ख0 नं0 1878 रकबा 12 बिघा 7 बिस्वा, ख0 नं0 1879 रकबा 6 बिघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि है। जिसकी पूर्व में खातेदारी माफी मंदिर श्री गोपाल वाकै मौजा पलसाना बएहतमाम पुजारी माधोदास चेला रामबक्सदासजी वैरागी साकिन पलसाना के नाम दर्ज रही है जिसका उल्लेख मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में एवं जमाबंदी खेवट खतोनी सम्वत 2018 से 2021 में अंकित है। उक्त वर्णित भूमियां पूर्व में माफी मंदिर श्री गोपाल वाकै मौजा पलसाना के खुद काश्त खतेदारी में दर्ज रही है जिसका उल्लेख मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में एवं खसरा गिरदावरी में भी सम्बत 2009 सें मूर्ति मंदिर श्री गोपालजी के खुद काश्त में दर्ज है, जो प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त भी दर्ज रिकार्ड रही है। वादग्रस्त भूमियां शुरू से ही यानि जागीरदारी के वक्त से ही मूर्ति मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी की भूमियां है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि में मोटा व कालू कुम्हार को बतौर उपकृषक भी जमाबंदी में दिखाया गया है जबकि कानूनन मूर्ति मंदिर की जमीन ना तो उप कृषक के नाम अंकित की जा सकती है तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को मूर्ति मंदिर की भूमि में खातेदारी अधिकार ही प्रदान किये जा सकते है ऐसी स्थिति में उक्त गलत खातेदारी से खातेदारों का नाम कायम रहने योग्य नही है। सम्वत 2018 में कालू पुत्र किशना कुम्हार के नाम विवादास्पद भूमियों की खातेदारी बिना किसी आदेश के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तपश्चात उक्त भूदा, शंकर पुत्रगण कालू अणची बेवा कालू ने विवादास्पद भूमियों को अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 26.06.2012 को विक्रय करके पत्र का पंजीयन उप पंजियक कार्यालय पलसाना में पृष्ठ संख्या 1 मिसल संख्या 126 पृष्ठ संख्या 18 कम संख्या 202001202 पर दर्ज किया जाकर विक्रय पत्र का पंजीयन कर दिया गया, जिससे वादग्रस्त भूमियों की वर्तमान में खातेदारी जरिये नामांतकरण संख्या 282 दिनांक 02.07.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी अंकित कर दी गई। कानूनन मूर्ति मंदिर अव्यस्क नाबालिक व्यक्ति होता है उससे कानून का संरक्षण प्राप्त है। हिन्दू देवता एक प्रकार से सनातन अव्यस्क होते है उनके नाम की भूमियों पर खातेदारी अधिकार किसी भी परिस्थिति में एवं किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को नही दिये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 की उप धारा क, ख एवं धारा 5 की उपमद संख्या 25 एवं धारा 46क के तहत भी यदि मूर्ति मंदिर की भूमियों को अन्य व्यक्ति के द्वारा ही भूमियों को खुद काश्त किया हुआ माना जावेगा ऐसा कानून का निश्चित settled law प्रावधान है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विवादास्पद भूमियों बाबत वादग्रस्त भूमि मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी के नाम होने से तमाम उपरोक्त रिकार्ड पर आये स्थानान्तरण व बेचान अवैध एवं शुन्य है । ऐसी स्थिति में रेवेन्यू रिकार्ड में जहां पर कालू पुत्र किशना कुम्हार एवं उसके पश्चात उसके वारिसान के नाम हुये विरासत का नामान्तकरण संख्या 1176 दिनांक 27.05.1985 व 26.06.2012 को जरिये विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हुये नांमान्तरण संख्या 282 दिनांक 02.07.2012 कानूनन अवैध प्रभावहीन एवं शुन्य है। अतः आवेदन पत्र बाबत रैफरेन्स श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी से कालू पुत्र किशना कुम्हार व नामांतकरण संख्या 1176 दिनांक 27.05.1985 व नामातकरण संख्या 282 दिनांक 02.07.2012 को खारिज किया जाकर विवादास्पद भूमियों को पुनः माफी मंदिर श्रीगोपाल जी वाकै पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नाम से अप्रार्थी संख्या 2 को खातेदारी में नाम दर्ज करने बाबत ओदश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की और से सरकारी पैरोकार श्री रामावतार शर्मा उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 में खातेदारी माफी मन्दिर श्री गौपालजी वाकै मौजा पलसाना व तमाक पुजारी माधौदास चैला रामबक्स दास वरागी सा पलसाना के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 में खातेदारी कालू पुत्र किशना कुम्हार सा. पलसाना के नाम दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या 1176 दिनांक 27.05.1985 कालू पुत्र किशना फौत होने पर विरासत भूदा शंकर पुत्रगण कालू अणची बेवा कालू जाति कुम्हार के नाम तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 02.07.2012 जरिये विक्रय पत्र के आधार पर प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र बैजनाथ अग्रवाल जाति महाजन सा. सीकर हाल आबाद मकान 12 शन्नीपार्क फ्लेट नं0 2 ई0आश्रम अपार्टमेन्ट कोलकाता के नाम तस्दीक किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2005–2012 में उक्त वर्णित आराजीयात माफी मन्दिर गोपालजी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से उक्त वर्णित आराजीयात माफी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 में खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम से अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 में खातेदारी बिना किसी आदेश के कालू पुत्र किशना कुम्हार सा. पलसाना के नाम दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी

Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम अखेपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 6.24 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1877 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1878 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1879 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 1176 दिनांक 27.05.1985 व नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 02.07.2012 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/18

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official